भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 264

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017
(खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध)

जनवरी, 2017

डा.न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष

Dr. Justice B. S. Chauhan
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23012708

अ.शा. सं. 6(3)305/2016-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 17 जनवरी, 2017

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

भारत का विधि आयोग आपराधिक न्याय प्रणाली का व्यापक पुनर्विलोकन कर रहा है । अपने अध्ययन के क्रम में, आयोग भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधनों पर सुझाव की आवश्यकता पर कार्य कर रहा है ।

इस प्रकार, पिछले वर्ष नवंबर में, गृह मंत्रालय ने आयोग से **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य,** ए. आई.आर. 2016 एस. सी. 3626 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश के आलोक में "भारतीय दंड संहिता की धारा 272 में संशोधन करने की परीक्षा" करने की मांग की जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "इस न्यायालय द्वारा तारीख 5 दिसंबर, 2013 और 10 दिसंबर, 2014 के आदेशों में व्यक्त मत के अनुसार, यह उचित होगा यदि भारत संघ भारतीय दंड संहिता के राज्य संशोधनों के उपबंधों के समान दंड उपबंधों में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करें ।

तद्नुसार, आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के पुनर्विलोकन का कार्य आरंभ किया । इन धाराओं के प्रतिनिर्देश से विहित दंड का अध्ययन किया गया । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, आयोग ने महसूस किया कि इसके लिए उपबंधित दंड वर्तमान परिदृश्य में काफी अपर्याप्त है । अतः, आयोग का यह मत है कि खाद्य अपमिश्रण से संबंधित अपराध, जो मानव के लिए खतरा है, के लिए और कठोर दंड होना चाहिए । आयोग यह महसूस करता है कि दंड का निर्धारण अपमिश्रित खाद्य पदार्थों और पेयों का उपभोग करने वाले उपभोक्ता को कारित अपहानि के मद्देनजर किया जाना चाहिए । खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में खाद्य अपमिश्रण के संपूर्ण आयामों का उल्लेख नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के उपबंधों को निरर्थक नहीं बनाता ।

· निवास : 1, जनपथ, नई दिल्ली

यह विवाद्यक कि क्या 2006 के अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के अधीन आपराधिक कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, अभी उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । अतः, इस प्रक्रम पर आयोग द्वारा मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है । फिर भी, उच्चतम न्यायालय के निदेश के आलोक में, आयोग इसकी रिपोर्ट सं. 264 **"दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध)"** के रूप में उपाबद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में कतिपय संशोधनों का सुझाव दे रहा है, जो सरकार के समक्ष विचारार्थ भेजा जाता है ।

आयोग माननीय न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझाव की प्रशंसा अभिलिखित करता है । आयोग रिपोर्ट की तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों पर परामर्शी श्री अरिजीत घोष और श्री ललित पंडा द्वारा दी गई प्रशंसनीय सहायता के प्रति आभार व्यक्त करता है ।

सादर,

भवदीय

ह0/-

(डा. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान)

श्री रविशंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

रिपोर्ट सं. 264
दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017
(खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध)

विषय-सूची

अध्याय		शीर्षक	पृष्ठ
I.		पृष्ठभूमि	5-6
II.		उच्चतम न्यायालय का निर्णय	7
III.		प्रस्ताव का प्रतिनिर्देश	8
IV.		खाद्य सुरक्षा विनियम को लागू वर्तमान अवसंरचना	9-21
	क.	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006	9
	ख.	खाद्य अपमिश्रण और भारतीय दंड संहिता	12
	ग.	खाद्य अधिनियम में ही परिभाषित कतिपय शब्द और पद	14
V.		भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में दंड की अनुपातिकता	22-35
VI.		विधियों में असंगतता	36-39
उपाबंध			
	क.	भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित परिवर्तन दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण	40-44
		भाग I. भारतीय दंड संहिता में सुझाए गए संशोधन	40-44
		भाग II. दंड प्रक्रिया संहिता में सुझाए गए संशोधन	45-48
	ख.	दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017	49-53

अध्याय 1
पृष्ठभूमि

1.1 हमारी बढ़ती दैनिक आवश्यकता और तेजी से बदलती जीवन शैली के परिणामस्वरूप बाजार में असंख्य "खाद्य" और "खाद्य उत्पाद" उपलब्ध हो रहे हैं तथा तरंत खाद्य और तुरंत पका भोजन आजकल प्रत्येक घर की आम आवश्यकता हो गई है । खाद्य और खाद्य उत्पादों के क्षेत्रीय से लेकर बहु-राष्ट्रीय तक के ब्रांड धीरे-धीरे अपने बाजार का विस्तार कर रहे हैं ; और हमारी आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करने के कारण घरों में उनका स्वागत हो रहा है । विभिन्न प्रक्रियाएं खाद्य उत्पाद को परिवर्तित और उपांतरित करती है जिससे कि उसके लक्षणों में वृद्धि हो सके या उपभोग योग्य बनाया जा सके । यह एक अटल प्रक्रिया है जो समाज के कृत्यों की बढ़ती विशिष्टता से जुड़ी है और जिसे प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

1.2 विधियों के माध्यम से मानवीय उपभोग के लिए 'संपूर्ण भोजन' प्राप्त किया जाना काफी समय से सुनिश्चित किया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विधान बनाए गए हैं कि खाद्य सुरक्षा का स्वीकार्य न्यूनतम स्तर सुनिश्चित हो ; और ऐसे मानक जिनसे ऐसी सुरक्षा प्राप्त हो, का कड़ाई से पालन किया जाए । खाद्य और खाद्य उत्पादों के बाजार की बढ़ती मांग के कारण खाद्य अपमिश्रण में लगे समाज विरोधी व्यक्तियों की लालच बढ़ गई है जो समाज के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है । देश में खाद्य अपमिश्रण की बढ़ती विभीषिका नागरिकों को स्वास्थ्य जोखिम की ओर ढकेल रही है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न रोग हो रहे हैं और जहां तक कि असामयिक मौतें हो रही हैं ।

1.3 विधि आयोग की रिपोर्ट में ऐसे खतरों पर विचार किया गया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता कहा गया है) के दो उपबंधों को समाविष्ट किया गया है जो खाद्य अपमिश्रण धारा 272 और 273 के बारे में है । इस रिपोर्ट में संक्षेप में खाद्य सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'खाद्य अधिनियम' कहा गया है) में प्रतिष्ठापित है, की वर्तमान अवसंरचना ; जहां 'असुरक्षित खाद्य' से संबंधित अपराध सृजित कर और उद्योग में मानक का आधार सृजित कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन खाद्य अपमिश्रण पर विचार किया गया है, का उल्लेख होगा ।

1.4 इस रिपोर्ट का उद्देश्य खाद्य अपमिश्रण अपराधों के लिए दंड की समान स्कीम सृजित करना है । यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सुझाए गए संशोधनों का लक्ष्य भारतीय दंड संहिता में उपबंधित दंड की कम मात्रा को समाप्त करना ; और खाद्य अधिनियम के उपबंधों और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत अनुसूची में समुचित संशोधन भी प्रस्तावित है । इन प्रस्तावों को रिपोर्ट के अंत में "संशोधन विधेयक" के रूप में उपाबद्ध किया गया है ।

1.5 इस बात का संक्षेप उल्लेख करना आवश्यक है जिसके कारण विधि आयोग द्वारा इस परियोजना का कार्य आरंभ किया गया । **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और गृह मंत्रालय के निर्देश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोग ने यह अध्ययन करने का भार अपने ऊपर लिया ।

1.6 इस रिपोर्ट में भारत में खाद्य सुरक्षा विधियों पर वर्तमान ढांचे का संक्षिप्त विवरण है और संपूर्ण विश्व में अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विनियमों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अभी हाल में कैसे उन्हें परिवर्तित किया गया । इसमें भारतीय दंड संहिता उपबंधों का प्रसंग होगा और प्रस्तावित परिवर्तनों के महत्व का प्रतिबिम्बन होगा । इसको भारतीय दंड संहिता और खाद्य अपमिश्रण के बीच संबंध पर चर्चा के तत्काल अगले ही भाग में स्पष्ट किया है ।

1.7 उन दोनों धाराओं की असंगति प्रकृति के संबंध में कतिपय आनुकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और इसके पश्चात् दंड के लिए "आनुपातिकता के सिद्धांत" के प्रस्तावित उपयोजन का औचित्य बताया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में, रिपोर्ट का उद्देश्य हमारी खाद्य सुरक्षा विधियों के बीच बोधगम्य असंगतता को दूर करना और छिपे निवारक आशय को पुनःप्रवृत्त करना है ।

---

[1] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3626.

अध्याय 2
उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2. देश के विभिन्न भागों में अपमिश्रित और कृत्रिम दूध की बढ़ती विभीषिका तथा संबद्ध राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार की परिसंकटमय तत्वों के साथ दूध के अपमिश्रण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की असमर्थता को उजागर करते हुए लोकहित में फाइल की गई रिट याचिका पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय (उपरोक्त) ने केंद्रीय सरकार को खाद्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में उपयुक्त संशोधन करने का निदेश दिया । तारीख 5 दिसंबर, 2013 और 10 दिसंबर, 2014 के अपने आदेशों में अपनी बात दोहराते हुए, न्यायालय ने उजागर किया कि, "उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल द्वारा किए गए राज्य संशोधनों के उपबंधों के समान भारतीय दंड संहिता में दंड उपबंध करना बांछनीय है जिसमें खाद्य और उत्पादों के अपमिश्रण के लिए दंड को बढ़ाकर आजीवन कारावास और जुर्माना भी किया गया है ।[2] आगे, यह सुझाव दिया गया कि यह वांछनीय है यदि भारत संघ खाद्य अधिनियम पर पुनर्विचार करे और ऐसे मालों में जहां अपमिश्रण का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अधिक कठोर उपबंध करते हुए अपमिश्रण के लिए दंड का पुनरीक्षण करे ।

---

[2] निर्णय का पैरा 19.

अध्याय 3

प्रस्ताव का प्रतिनिर्देश

3. भारत के विधि आयोग को गृह मंत्रालय से **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निर्देश करते हुए तारीख 2 नवंबर, 2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें विधि आयोग से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल द्वारा धारा 272 और 273 में किए गए राज्य संशोधनों के समान भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में अंतर्विष्ट दंड उपबंधों को संशोधित करने के विनिर्दिष्ट मुद्दे की परीक्षा करने का विधि आयोग से अनुरोध किया गया था । पत्र में, यह भी कहा गया है कि "कई राज्य मामले के अनुसरण में धारा में संशोधन भी करना चाहते हैं । जैसाकि भारत का विधि आयोग आपराधिक विधि के सभी पहलुओं पर पहले ही व्यापक पुनर्विलोकन कर रहा है जिससे कि विभिन्न विधियों अर्थात् भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि में व्यापक संशोधन किया जा सके । अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 272 में संशोधन करने की भी परीक्षा करें । "

अध्याय 4

खाद्य सुरक्षा विनियम को लागू वर्तमान ढांचा :

क. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

4.1 हमारे देश में, संविधानपूर्व और संविधान पश्चात् अनेक विधियां, आदेश, नियम थे जिनका लक्ष्य उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के विशेष प्रतिनिर्देश से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है । उन्हें सूपर्ण खाद्य सुरक्षा और गुणता को प्राप्त करने में एक दूसरे की पूर्ति करने और सहायता करने के लिए लागू किया गया । तथापि, विभिन्न अधिनियमों/आदेशों के विनिर्देशों/मानकों की बहुलता तथा विभिन्न विभागों और अभिकरणों के प्रशासन के कारण क्रियान्वयन की समस्याएं हुई और काफी समय से सुरक्षा मानकों के महत्व में कमी आई । खाद्य उद्योगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही थी क्योंकि देश के विभिन्न उत्पादों पर भिन्न-भिन्न आदेश, नियम और विनियम लागू थे जिन्हें समेकित करने की आवश्यकता थी ।

4.2 सभी पूर्व विद्यमान विधियों को समेकित करने के उद्देश्य से, संसद् द्वारा खाद्य अधिनियम अधिनियमित किया गया जो बहु-स्तरीय, बहुविभागीय नियंत्रण से हटकर एकल कमांड द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंधित सभी विषयों के लिए एकल निर्देश बिंदु स्थापित करता है ।[3] इस आशय से खाद्य अधिनियम एक स्वतंत्र कानूनी प्राधिकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण (खाद्य प्राधिकरण)[4] स्थापित करता है जिसका सृजन खाद्य वस्तुओं के विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनका विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय को विनियमित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयात करने के लिए किया गया है ।

4.3 खाद्य अधिनियम, जो 2011 में प्रवृत्त हुआ, में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) ; फल उत्पाद आदेश, 1955 ; मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 ; वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947 ; खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 ; विलायक निष्कर्षित तेल, तेलरहित भोजन और खाद्य आटा

---

[3] कृपया देखें hhttp@//www.Food Aeti.gov.in/home/about-us/introduction.html (अंतिम निर्धारण 22 दिसंबर, 2016 को)

[4] धारा 4, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006.

(नियंत्रण) आदेश, 1967 ; दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 जैसे विभिन्न केंद्रीय अधिनियम सम्मिलित हैं और खाद्य से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 105) के अधीन जारी आदेश भी है ।[5]

4.4 खाद्य अधिनियम के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए, राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के साथ-साथ खाद्य प्राधिकरण अधिनियम के अधीन सुसंगत अपेक्षाओं की मानीटरिंग करने, सत्यापित करने और इसके प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है ।[6] अधिनियम में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा खाद्य अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अधिकथित खाद्य सुरक्षा और मानक तथा अन्य अपेक्षाओं के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति का भी उपबंध है ।[7] प्रत्येक राज्य का खाद्य सुरक्षा आयुक्त ऐसे क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने का उत्तरदायी है जो अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन और निष्पादन के उत्तरदायी हैं ।[8] खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण और अभियोजन की भी शक्ति दी गई है ।[9]

4.5 खाद्य अधिनियम का अध्याय 9 अपराध और शास्तियों के बारे में है जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करता है । जहां धारा 48 में यह उल्लेख है कि खाद्य अपमिश्रण का अपराध कैसे किया जाता है, वहीं धारा 50 से 67 में अपराध किए जाने की दशा में दंड का वर्णन है । विशेषकर, धारा 59 के असुरक्षित खाद्य के लिए दंड का उल्लेख है । धारा 3(1)(यय) असुरक्षित खाद्य को ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है जिसकी प्रकृति, पदाथ या क्वालिटी इस प्रकार प्रभावित है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है । यह दंड की श्रेणीवद्ध प्रणाली का उपबंध करती है जिसका उल्लेख इस प्रकार है :

धारा 59. कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का, जो असुरक्षित है, विक्रय के

---

[5] अधिनियम की धारा 89 [इस अधिनियम का अन्य सभी खाद्य संबंधी विधियों पर अध्यारोही प्रभाव] धारा 97(1) और 97(2) (निरसन और आवृत्ति) को कृपया निर्दिष्ट करें ।

[6] खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम, 2006 का अध्याय 7, धारा 29(1) और (2).

[7] खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम, 2006 की धारा 30(1).

[8] खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम, 2006 की धारा 37.

[9] खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम, 2006 की धारा 41.

लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है,--

(i) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप क्षति कारित नहीं होती है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ii) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई घोर क्षति कारित नहीं होती है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(iii) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई घोर क्षति होती है वहां वह कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(iv) जहां ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

4.6 खाद्य अधिनियम न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन का भी उपबंध करता है [10] और खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण[11] के नाम से ज्ञात अनुकल्पी मंच की स्थापना करता है । अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपील अधिकरण की शक्तियां अधिनियम में उपबंधित है ।[12]

4.7 खाद्य प्राधिकारी के पास अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए खाद्य अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बनाने की शक्ति है ।[13] इसके लिए, खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 तथा

---

[10] धारा 68, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006.

[11] धारा 70, वही

[12] धारा 71-80 - अध्याय 10 - वही.

[13] धारा 92, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006.

निम्नलिखित विनियम बनाए :

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेखेलिंग) विनियम, 2011

3. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011.

4. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011.

5. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषण, जीवविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011.

6. खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूनाकरण विश्लेषण) विनियम, 2011.

ख. खाद्य अपमिश्रण और भारतीय दंड संहिता

4.8 भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 (लोक स्वास्थ्य, झेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में) विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय के अपमिश्रण (धारा 272) और अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय (धारा 273) के लिए दंड विहित करता है ।

धारा 272 इस प्रकार है :

विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तुत को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

धारा 273 इस प्रकार है :

आपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

4.9 तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों ने धारा 272 और 273 में संशोधन किए जिसमें कारावास की अवधि, जिसे बढ़ाकर 6 मास तक की जा सकती है, के स्थान पर जुर्माने के साथ आजीवन करावास रखा गया । राज्य संशोधन इस प्रकार है :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य

भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे ढ़ाकर एक हजार रूपए तक किया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

" परंतु न्यायालय निर्णय के वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो" ।[14]

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य

भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में पश्चिमी बंगाल राज्य को लागू हाने के लिए "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपए तक किया जा सकेगा या दोनों से", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

"जुर्माना सहित या रहित आजीवचन कारावास" ;

---

[14] 1957 का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47.

परंतु न्यायालय, निर्णय में वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।[15]

(3) उड़ीसा राज्य

भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे ढ़ाकर एक हजार रूपए तक किया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय निर्णय के वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।[16]

(ग) खाद्य अधिनियम में ही परिभाषित कतिपय शब्द और पद

4.10 खाद्य की किसी वस्तु को अपमिश्रित किया गया समझा जाएगा ---

खाद्य अधिनियम की धारा 3(1) (यय) परिभाषित करती है जब खाद्य सुरक्षा "असुरक्षित खाद्य" समझा जाएगा :

(i) स्वतः वस्तु या उसके पैकेज से, जो पूर्णतः या भागतः विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना है ; या

(ii) उस वस्तु से जो पूर्णतः या भागतः गंदे, दूषित, सड़े, गले या रुग्न पशुजन्य पदार्थ या वनस्पतिजन्य पदार्थ से बनी है ; या

(iii) उसके अस्वास्थ्यकर प्रसंस्करण के कारण या उस वस्तु में किसी हानिकारक पदार्थ की विद्यमानता से ; या

(iv) किसी घटिया या सस्ते पदार्थ के अनुकल्प द्वारा चाहे वह पूर्णतः हो या भागतः ;

(v) किसी पदार्थ को सीधे या किसी संघटक के रूप में, जो अनुज्ञेय नहीं है, मिलाकर ; या

---

[15] 29 अप्रैल, 1973 से 1973 का पंश्चिमी बंगाल अधिनियम सं. 42.

[16] 27 फरवरी, 1999 से 1999 का उड़ीसा अधिनियम 3 धारा 2 लागू ।

(vi) उसके किसी संघटक को पूर्णतः निकालकर ; या

(vii) पदार्थ को इस प्रकार रंजित, सुरुचिकारक या विलेपित, चूर्णीकृत या पालिशीकृत करके जिससे पदार्थ को नुकसान होता हो या वह इस प्रकार छिपाया जाता है या उस पदार्थ को उससे बेहतर या अधिक मूल्य का प्रकट करना जैसाकि वह वास्तव में है ; या

(viii) किसी रंजक पदार्थ या परिरक्षी को उससे भिन्न जो उसकी बाबत विनिर्दिष्ट किया गया है, उसमें मिलाकर ; या

(ix) उन पदार्थों से जो कृमियों, घुन या कीटों से विसंक्रमित या ग्रसित है ; या

(x) उनको तैयार किए जाने, पैक किए जाने या अस्वास्थ्यकर दशाओं में रखे जाने से ;

(xi) उसके मिथ्या छाप वाली या अवमानक होने या खाद्य में बाह्य पदार्थ होने से ; या

(xii) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक नाशक जीवमार और अन्य संदूषक अंतर्विष्ट होने के कारण

4.11 किसी खाद्य वस्तु के संबंध में जब "हानिकर" और "अनिष्टकर" शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनका क्रमशः अर्थ यह है कि वस्तु स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह या मानव उपयोग के प्रतिकूल है ।

4.12 निरसित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पी.एफ.ए. अधिनियम कहा गया है) और भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के बीच इस संबंध को उजागर करने की आवश्यकता इस मुद्दे को सामने लाने के लिए पड़ी कि खाद्य अधिनियम (जो पी.एफ.ए. अधिनियम को निरसित करता है), पूर्वोक्त पदों को परिभाषित नहीं करता बल्कि "अमिश्रक"[17] और "असुरक्षित खाद्य"[18] को परिभाषित करता है जिसका भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में कोई उल्लेख नहीं है ।

4.13 **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम

---

[17] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(क)

[18] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(यय).

न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए खाद्य अधिनियम की धारा 59 और भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के पारस्परिक प्रभाव का उल्लेख किया । उसमें **मेसर्स पेपसिको इंडया होल्डिंग (प्रा.) लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[19] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का निर्देश है जिसमें न्यायलय ने यह कहा कि खाद्य के अपमिश्रण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के अवलंब को अन्यायोचित माना गया क्योंकि प्राधिकारी केवल खाद्य अधिनियम के अधीन कार्रवाई कर सकते हैं । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रम पर उक्त प्रश्न पर विचार न करने का विनिश्चय किया और उपरोक्त (2012 की दांडिक अपील सं. 476-478) मामले में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई अपीलों को सूची से निकाल दिया जो लंबित है और इस प्रकार न्यायाधीन है ।[20]

2.14 **मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग (प्रा.) लिमिटेड और एक अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इसमें याचियों ने अन्य निम्नलिखित बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 272/273 के अधीन मामले दर्ज करने और कार्रवाई आरंभ करने का निदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की विधिमान्यता को प्रश्नगत किया :

(i) प्राधिकारियों ने लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 272/273 का अवलंब लेने का चयन किया । चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथा प्रकटित अभिकथित अपराध खाद्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन आते हैं इसलिए भारतीय दंड संहिता कीधारा 272/273 का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, और

(ii) ऐसे कतिपय तत्व है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित हैं । इसी प्रकार धारा 273 भी अपमिश्रण का अपराध किए जा सकने के पूर्व कतिपय तत्वों को पूरा किए जाने की अपेक्षा करती है । तत्व ये हैं कि "कोई ऐसी जानकारी या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यह अनिष्टकर खाद्य मद है ऐसे खाद्य वस्तु या पेयों को बेच रहा है जो उपयोग के लिए अनिष्कर अयोग्य ठहराए गए हैं, दूसरे शब्दों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 272/273 तभी लागू होती है यदि यह साबित किया जाए कि

---

[19] 2011(2) क्राइम 250, 2010 (6) ए.एल.जे. 30.

[20] स्वामी अच्युतानंद तीर्थ निर्णय का पैरा 13.

अपमिश्रण, जानबूझकर, साशय या जानकारीयुक्त है ।

(iii) विशेष विधि साधारण विधि पर अभिभावी होती है । पी.एफ.ए. अधिनियम, 1954 के उपबंध प्रवृत्त होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के उपबंध ग्रहणग्रस्त हो गए ।

(iv) खाद्य अधिनियम ने पी.एफ.ए. अधिनियम को निरसित किया और विक्रय के लिए खाद्य और पेय के अपमिश्रण की बाबत संपूर्ण क्षेत्र को अधिगृहीत कर लिया । खाद्य अधिनियम के उपबंध लागू होंगे और धारा 272 और 273 के उपबंध लागू नहीं थे, और धारा 272 और 273 के उपबंध लागू नहीं हो, और

(v) यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं था कि अभिगृहीत खाद्य सामग्री विक्रय के लिए थी क्योंकि "विक्रय के लिए नहीं" का बोर्ड वहां नहीं रखा गया था ।

4.15 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता[21] की धारा 5 पर भरोसा करते हुए उक्त दलील को कायम रखा और यह मत व्यक्त किया :

"यहां ऊपर दोहरायी गयी भारतीय दंड संहिता की धारा 272 तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति खाने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी । इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि याची कंपनी या इसके कर्मचारी या अभिकर्ता इसे बचेने के आशय से अपने उत्पाद रखे थे या यह जानते हुए कि उत्पादों का खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाना संभाव्य है या यह कि उक्त उत्पाद विक्रय के लिए उद्घाटित या प्रस्थापित थे । कंपनी का यह निश्चित आधार था कि अभिगृहीत वस्तुएं गोदाम में रखी गई थी जहां "विक्रय के लिए नहीं" का बोर्ड भी नहीं लटक रहा था जब तलाशी ली गई थी ।

एक बात बिल्कुल साफ हैं कि दंड संहिता की कोई बात किसी विशेष

---

[21] धारा 5 में यह उल्लेख है : कतिपय विधियों का इस अधिनियम द्वारा प्रभावित न होना - इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों के अधीन सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नाविकों या वायु-सैनिकों के विप्लव और अधित्यजन को दंडित करने के लिए किसी अधिनियम के उपबंधों का प्रभावित नहीं करेगा ।

अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावित नहीं करेगी और जब किसी विशिष्ट विषय के किसी कार्य या लोप के लिए विशेष नियम विरचित किए गए हो तो उस स्थिति में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों की उपेक्षा या अनदेखी की जानी चाहिए । प्रस्तुत मामलों में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आक्षेपित सरकारी आदेश के अनुसरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के अधीन दर्ज की गई यद्यपि खाद्य पदार्थ का अपमिश्रण विशेष अधिनियम अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन आता है ।"

4.16 "..... पी.एफ.ए. अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए 272 और 273 को **ग्रहणाग्रस्त** किया । दूसरे शब्दों में, उक्त अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 को **निरर्थक** कर दिया क्योंकि पी.एफ.ए. अधिनियम के अधीन उपबंधित दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के अधीन उपबंधित से अधिक था ।" (बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

4.17 न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए निष्कर्ष निकाला :

".....29 जुलाई, 2010 की अधिसूचना द्वारा एफ.एस.एस.ए. के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पश्चात् खाद्य के अपमिश्रण या गलत ट्रेडमार्क के लिए प्राधिकारी एफ.एस.एस के अधीन ही कार्रवाई कर सकता है जैसाकि यह पी.एफ.ए. अधिनियम सहित अन्य सभी खाद्य संबंधी विधि पर अभिभावी प्रभाव अभिधारित करता है ..... इसलिए, आक्षेपित सरकारी आदेश के अनुसरण में खाद्य अपमिश्रण संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 का लेना पूर्णतः अन्यायोचित और अस्तित्वहीन है । इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित सरकारी आदेश का उचित विवेक प्रयोग किए बिना और मामले का सूक्ष्म रूप से परीक्षा करते हुए जारी किया गया और इस प्रकार, राज्य सरकार अधिकारिता के परे है ।"

4.18. पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों/निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथमतः, 'अभियोजन की विषय-वस्तु विक्रय के लिए नहीं है और द्वितीयतः खाद्य अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे और राज्य अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया लागू होगी क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और धारा 273 ग्रहणग्रस्त हो गई ।

4.19 यह विधिक प्रतिपादना है कि विवक्षपित निरसन के प्रति उपधारणा है ।[22] जब कभी विधायिका कानून का अधिनियम करती है, यह उपधारणा की जाती है कि यह उसी विषय से संबंधित सभी विद्यमान विधियों की पूरी जानकारी के साथ विधान की कार्यवाही करता है और निरसन खंड में किसी विशिष्ट विधि या उसके भाग को जोड़ने की असफलता या उपदर्शिता करता है कि आशय किसी विशिष्ट विद्यमान विधान या उसके भाग को निरसित करने का नहीं था । यदि पूर्व और बाद में दो अधिनियमित विधियां एक साथ कार्य नहीं कर सकती तो इस कारण विवक्षित निरसन का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाद वाली विधि पूर्ववर्ती प्रतिकूल निधि का निराकरण करती है । यह ध्यातव्य है कि दो कानूनों के बीच वस्तुतः विसंगति होनी चाहिए और विसंगति मात्र संभावना पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए ।

4.20 यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विशेष अधिनियम साधारण अधिनियम पर अभिभावी होगा । यह उपबंध करता है कि विवाद्यक विषय पर अधिक विनिर्दिष्ट निदेशित 'उपबंध' अपवाद के रूप में या उस उपबंध जो अधिक साधारण प्रकृति का है की शर्त अभिभावी होता है बशर्ते विनिर्दिष्ट या विशेष कानून स्पष्टतः विवादित विषय को सम्मिलित करता है । इस सिद्धांत में यह परिकल्पित है कि साधारण कानून के उपबंध विशेष कानून के अधीन हैं ।

4.21 जहां कोई विशेष पश्चात्वर्ती विधान संपूर्ण विषय-वस्तु के बारे में एक पूर्ण संहिता हो तो यह साधारण विधि के उपबंध को अपवर्जित करेगी ।[23]

4.22 खाद्य अधिनियम किसी ऐसे क्रियाकलाप, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

---

[22] **म्यूनिसिपल काउंसिल पलई** बनाम **टी. जे. जोसेफ और अन्य,** ए.आई.आर. 1963 एस. सी. 1561 ; **दिल्ली नगर निगम** बनाम **शिवशंकर,** ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 215 ; **जरस्टीनियानो अगरस्टो डे पीडेडेबरैटो** बनाम **एन्टोनियो, विसेन्टे डा फोन्सेका,** ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 984 ; **आर. एस. रघुनाथ** बनाम **कर्नाटक राज्य,** ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 81, **ओम प्रकाश शुक्ला** बनाम **अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य** ए. आई. आर. 1986 एस.सी. 1043 ; **कनवर लाल** बनाम **द्वितीय अपर जिला अधिकारी,** नैनीताल, ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2078 ; **सिंडिकेट बैंक** बनाम **प्रभा डी. नाईक,** ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1968 ; **भारत संघ** बनाम **वेंकटेश्वर एस.** , ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1890 ; **ड. आर. यादव** बनाम **आर. के. सिंह,** ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3935 ; और **लाल शाह बाबा दरगाह** बनाम **मेगनम डेवलपर और अन्य** ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 381.

[23] सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल बनाम हिंदुस्तान कॉपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 149 ; श्रीराम मंदिर संस्था बनाम वत्सलाबाई, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 520 ; जीवन कुमार राऊत और अन्य बनाम सेंट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2763 ; जमरुद्दीन अंसानी बनाम सेंट्रल ब्यूर आफ इनवेस्टिगेशन और अन्य (2009) 6 एस. सी. 316 ; और कॉमरसियल टैक्स ऑफिस राजस्थान बनाम मैसर्स बीनानी सीमेंट लिमिटेड और अन्य, 2015(3) एस. सी.आर. 1.

के लिए हानिकर हो, में लगे किसी चालू खाद्य उद्योग को सुरक्षा प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, खाद्य अधिनियम अभी क्रियान्वयन के प्रारंभिक प्रक्रम पर है । खाद्य अधिनियम के अधीन इसके उपबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की शक्तियों का पुनर्विलोकन करना होगा । उपरोक्त की दृष्टि से यदि खाद्य अधिनियम की तुलना भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 से की जाए तो निम्नलिखित दृश्य उभरता है ।

क्र.सं.	अंतर करने का आधार	खाद्य अधिनियम	भारतीय दंड संहिता
1.	उद्देश्य	उक्त अधिनियम की धारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों, अधिनियम में उपदर्शित उद्देश्य का उल्लेख करने वाले उपबंधों और बृहत शीर्षक से यथा प्रतिबिम्बित खाद्य उद्योग विनियमित करने के लिए 1	इन उपबंधों का अधिनियम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए किया गया है ।
2.	प्रकृति	अधिकांश उपबंध खाद्य उद्योग को कारगर बनाने और खाद्य वस्तुओं की गुणता में सुधार करने के लिए विनिमयकारी हैं । इनके उल्लंघनों को अपराध बनाया गया है किंतु अधिनियम की स्कीम से यह प्रतिबिम्बित होता है कि ऐसे अपराध अनुषांगिक प्रकृति के हैं जो अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए है ।	निरोधात्मक और निवारक
3.	प्रक्रिया	खाद्य अधिनियम में, खाद्य वस्तुओं की गुणता बढ़ाने के लिए विस्तृत स्कीम दी गई है । जागरूकता लाने के लिए, प्रचार पर बल दिया गया है और निवारक उपाय और उल्लंघनों को	सामूहिक दुर्घटना को निवारित करने के लिए पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई ।

		उपरोक्त को पूरा करने के लिए तंत्र के रूप में अपनाया गया है ।	
4.	लक्ष्य समूह	धारा 3(एन)(ओ) और (जेड डी) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, संगठित विक्रताओं सहित खाद्य प्रचालक तथा विनिर्माता और उससे संबद्ध व्यक्ति खाद्य अधिनियम के उपबंधों विशेषकर दंड उपबंध के अधीन है ।	कोई व्यक्ति
5.	अपराध की प्रकृति	खाद्य अधिनियम की धारा 69 के अधीन अपराध शमनीय हैं । अपराधों का सृजन खाद्य वस्तुओं की गुणता में सुधार लाने के लिए किया गया है ।	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन, इन धाराओं का उल्लेख नहीं है । यह दर्शित करता है कि ये अपराध राज्य और आम समाज के विरुद्ध है ।
6.	प्रभाविकता	खाद्य अधिनियम का लक्ष्य खाद्य वस्तुओं की गुणता में सुधार करना है और सहजदृश्य स्थान पर यह अपराध की गंभीरता के बावजूद ऐसे अभियुक्त के जमानत की मंजूरी और अपराधकर्ता की गिरफ्तारी/निरोध के बारे में मौन है ।	दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन अपराध संज्ञेय है । पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकता है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, उसे अभिरक्षा में रख सकता है और जमानत मंजूर किए जाने तक कारागार में निरुद्ध रखा जा सकता है ।

अध्याय 5

भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में दंड की अनुपातिकता

5.1 खाद्य अधिनियम की तुलना में, भारतीय दंड संहिता प्रथमतः ऐसे अपमिश्रण जिसका परिणाम खाद्य वस्तुओं को अपायकर बनाना है और द्वितीयतः अपायकर खाद्य वस्तुओं के वास्तविक विक्रय के लिए पर्याप्त दंड विहित करती है । संहिता में विहित दंड की मात्रा की अपर्याप्तता के कारण वर्तमान सुधार पहल की आवश्यकता पड़ी । स्वास्थ्य जीवन के अनुरक्षण के लिए स्वास्थ्यकर और पौष्टिक खाद्य के महत्व के कारण यह प्रतीत होता है कि इसकी सुरक्षा का अनुरक्षण ऐसे वाणिज्यिक विश्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है जहां व्यक्ति अन्य लोगों द्वारा उत्पादित खाद्य वस्तुओं से अपना पोषण प्रापत करते हैं । अपमिश्रण द्वारा स्वास्थ्य और मानव जीवन को खतरा पहुंचाने वाले समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हुए और इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक मुद्दों की मांगों का पूरा करते हुए एक पर्याप्त व्यापक विधि प्रणाली होनी चाहिए ।

5.2 खाद्य की सुरक्षा को खतरा व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिए इसके अपमिश्रण से है और इस खतरे के विरुद्ध बचाव का तरीका ऐसे कार्यों के लिए दंड उपबंधों से सुसज्जित प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली है । ऐसे समुचित तरीकों के बारे में काफी लिखा गया है जिसके द्वारा शास्तियां आपराधि विधान हेतु उपबंधित की जानी चाहिए । सामान्यतः, विधि प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए दंड देने हेतु न्यायाधीशों को विवेकाधिकार की काफी गुंजाइस का उपबंध करती है । तथापि, कुछ दृष्टांतों में, दंड उपबंधों को अधिक निर्बंधनकारी बनाया जाता है जिससे कि ऐसी परिस्थितियां, जिनके अधीन दंड दी जानी है, का अधिकथन स्वयं विधि में हो । न्यायिक विवेकाधिकार पर इस सीमा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में निवारण का भारी संदेश प्रचारित हो और ऐसी कोई परिस्थिति न हो जिसके लिए उदारवादी दंड विधि अपनाई जा सके । ऐसी स्थितियों में, विधि ऐसी मानदंड विहित करती हैं जो विभिन्न तरह के दंड को पूरा करने के लिए होते हैं और दंड देने की इन परिस्थितियों के विचार की व्याप्ति के पुरोबंध द्वारा इसके प्रभावी प्रयोग के लिए विधि को सरल और कारगर बनाती है ।

5.3 हमारे देश में, दंड की समुचित मात्रा के अवधारण में सर्वाधिक सहायक ऐसे

न्यायिक विनिश्चय हैं जो कालक्रम में विकसित होते हैं । विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है जिससे कि इसे खाद्य अधिनियम और संहिता के राज्य संशोधनों में उपबंधित विद्यमान दंड स्कीम के समान दंड अवसंरचना विकसित की जा सके । भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273 में किए गए राज्य संशोधन दंड की समग्र मात्रा की वृद्धि करते हैं, इस रिपोर्ट में प्रसताव ऐसे दंड का निर्धारण है जिसे कार्य की प्रकृति के अनुसार (साशय या अन्यथा) और अपमिश्रित खाद्य में पीड़ितों द्वारा झेली गई अपहानि के विस्तार तक श्रेणीबद्ध किया गया है । यह युक्तिसंगत है क्योंकि मात्र समग्र दंड को बढ़ाने की शक्ति न्यायालयों पर छोड़ दी जाए चाहे वे समय-समय पर उदारवादी या अन्यथा बर्ताव अपनाएं । राज्य संशोधन एसे बर्ताव को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं । उदाहरणार्थ, हम ड़ीसा संशोधन पर विचार कतरे हैं जो इस प्रकार है ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 272 में "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे ढ़ाकर एक हजार रूपए तक किया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय निर्णय के वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।[24]

भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल संशोधन इसी तरह के हैं ।

5.4 मुद्दे पर विचार करते हुए विधि आयोग का यह मत है कि अपनायी जाने वाली समुचित दंड स्कीम वह है जो खाद्य अधिनियम की धारा 59 में विद्यमान है । राज्य संशोधन दंड की समग्र सीमा को बढ़ाते हैं किंतु उदारता को नियंत्रित करने का तरीका समुचित अवसंरचना सृजित नहीं करता । दंड का वैयक्तीकरण 'दंड' का 'विधि की गंभीरता' के बीच संतुलन रखने और उपराधों से होने वाली सामाजिक चुनौतियों के अनुसार शास्तियां अभिकल्पित करने की अपेक्षा करता है । इस क्षेत्र को लागू सिद्धांत

---

[24] 1999 का 3 डड़ीसा अधिनियम धारा 2 (27.1.1999 से लागू)

दंड की आनुपातिकता का सिद्धांत है । आजीवन कारावास का अधिकतम दंड विहित कर और न्यायालयों से इसके विपथन के लिए 'पर्याप्त और विशेष कारण' देने की अपेक्षा कर, राज्य संशोधनों के उपबंध इस अपराध के लिए दंड की कुल मात्रा को बढ़ाते हैं । तथापि, 'पर्याप्त और विशेष कारण' शब्दों के सिवाय बिना किसी मार्गदर्शक सिद्धांत के कुछ महीनों से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड देने की खुली छूट देकर उपबंध ऐसे अनुकल्पी दंड अवसंरचना के विकास की अनुज्ञा देते हैं जिसमें निर्णायज विधि ऐसी विभिन्न आकस्मकताओं के निमतकर सके जिनका उपयोग शमनकारी कारक के रूप में किया जा सके । अतः, उपरोक्तानुसार ऐसी स्पष्ट अपेक्षा है कि सुसंगत उपबंधों द्वारा ऐसे दंड को बढ़ाया जाए जिसमें निश्चिततः हो जिससे कि अपेक्षित निवारक प्रभाव बना रहे ।

5.5 "आनुपातकता का सिद्धांत" ऐसी स्थिति और परिस्थिति, जिसके अधीन दंड की उदारता अपनायी जाए, को स्पष्ट करते हुए निवारक के सिद्धांत के साथ-साथ कार्य करने वाला हो । धारा 272 और 273 के प्रस्तावित संशोधनों में दंड की सूची इस प्रकार है :

(i) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप क्षति न हो वहां ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(ii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वप गैर-गंभीर क्षति हो, वहां ऐसी अवधि के कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(iii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति कारित हो, वहां ऐसी अवधि के कारावास से जो छह वर्ष का तक हो सकेगा और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा ;

(iv) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप मृत्यु हो वहां ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्ष कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा ;

परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित किए जाने वाले पर्यापत कारण से ऐसे

कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ;

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के पुनर्वास और चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए उचित और युक्तिसंगत होगा ;

परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा ।"

5.6 कारावास की मात्रा और जुर्माना दोनों अपराध से होने वाले अपहानि की गंभीरता के अनुसार बढ़ता है । इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि "समुचित शास्ति" विहित करना बहुत जटिल और कठिन कार्य है । तथापि, समाज की मांगों को दृष्टिगत करते हुए, विधि को कठोर दंड की मात्रा के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विशिष्ट मानदंड नियत करना चाहिए । ऐसे मामले में, अपराध से अपहानि की गंभीरता को समुचित मानदंड के रूप में चुना गया है ; और इसका आशय व्यक्ति पर नजर रखना है कि उसके कार्य को ऐसे परिणाम के आलोक में मापा जाएगा जो उसके कार्य से उद्भूत होता है । उच्चतम न्यायालय ने समुचित दंड विधि और दंड देने में आनुपातिकता के सिद्धांत का व्यापक प्रतिनिर्देश किया है । यहां, हम ऐसे निर्णयों के उद्धरण की परीक्षा करते हैं जिसे आयोग ने पूर्वोक्त दंड स्कीम को स्वीकार करने हेतु विचार किया ।

5.7 **अलीस्टर एन्थेनी परैरा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[25] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 304 भाग 2 के अधीन अपराध के लिए दंडादेश बढ़ाने पर विचार किया । अपनाए जाने वाले तरीके के बारे में यह कहा :

> "न्यायालयों ने कतिपय सिद्धांत विकसित किए : दंडादेश नीति के दो उद्देश्य निवारण और सुधार है । वैसा दंडादेश न्याय को प्रयोजन पूरा करेगा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों यपर निर्भर कता है और न्यायालय को अपराध की गंभीरता, अपराध के हेतुक, अपराध की प्रकृति और अन्य सभी परिवर्ती परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए ।
>
> अपराधकर्ता को दंड देने में आनुपातिकता का सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र में सुरस्थापित है । विधितः, अपराधकर्ता को दंड देने के अवधारण में अपराध और

---

[25] ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3802.

दंड के बीच अनुपात का सर्वाधिक सुसंगत प्रीव है । न्यायालय को समुचित दंड देने के लिए सामाजिक हित और सामाजिक चेतना सहित सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए ।"

5.8 यह कहना सुसंगत होगा कि किसी विधायी मार्गदर्शन के बिना न्यायालय प्रायः समुचित शास्ति अवधारित करने में व्यापक प्रकार की परिस्थितियों पर विचार करते हैं । इस प्रतिपादना और यह अपेक्षा कि सभी सुसंगत मानदंड पर गंभीरता से विचार किया जाए, पर विधायिका द्वारा दंड की निश्चितता द्वारा पर्याप्त निवारण सृजित कर ध्यान दिया जा सकता है ।

5.9 बलात्संग जैसे दुर्दमनीय और गंभीर अपराध के मामले में समुचित शास्ति के लिए न्यायिक और विधायी तलाश शिक्षाप्रद है । **कर्नाटक राज्य** बनाम **कृष्णप्पा**[26] वाले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा :

"बलात्संग के मामले में दंड का माप पीड़ित या अभियुक्त की सामाजिक हैसियत पर निर्भर नहीं हो सकता है । यह अभियुक्त के आचरण, लैंगिक उत्पीड़ित स्त्री की दशा और आयु तथा आपराधिक कार्य की गंभीरता पर निर्भर होना चाहिए । महिला पर हिंसा के अपराध पर कराई से निपटने की आवश्यकता है । अभियुक्त या पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति, धर्म, मूलवंश, जाति या पंथ दंडात्मक नीति के असंगत विचार हैं । समाज का संरक्षण और अपराधी का निवारण विधि का स्वीकृति उद्देश्य है और समुचित दंड अधिरोपित कर उसे प्राप्त करना अपेक्षित है । दंड देने वाले न्यायालयों से दंड के प्रश्न से संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना और अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड अधिरोपित करने की कार्यवाही आरंभ करना प्रत्याशित है । न्यायालयों को इस मामले की तरह कोमल आयु की निर्दोष असहाय लड़कियों पर बलात्संग के जघन्य अपराधों के मामलों में समाज द्वारा न्याय की तीव्र प्रकार सुननी चाहिए और उचित दंड अधिरोपित कर उत्तर देना चाहिए । अपराध की सार्वजनिक घृणा को न्यायालय द्वारा समुचित दंड के अधिरोपण के द्वारा प्रतिबिंबित करना आवश्यक है ।"

5.10 ऐसी प्रतिपादनाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसे मानदंडों के सेट जिनहें न्यायालय दंड देने के प्रश्न हेतु सुसंगत पाता है, को हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित

---

[26] ए.आई.आर. 2000 एस. सी. 1470.

होना चाहिए कि असंगत विचारों के परिणामस्वरूप अनिश्चितता या भिन्न-भिन्न दंड न हो जिससे कुछ अपराधी छूट जाएं जबकि अन्य लोगों को भारी बोझ सहन करना पड़े । यह भी महत्वपूर्ण है कि दंड अपराधकर्ता के लक्षणों से अधिक अपराध के लक्षणों से वैयक्तीकृत है । दंड की मात्रा के महत्व के सीमित विषयों के इस प्रचालन को अग्रेषित किया जाए जिससे कि अपराध की गंभीरता से संबंधित केवल अधिकांश सुसंगत तथ्यों को अन्य विचार बहाकर न ले जा सकें ।

5.11 दंड इस अपराध केंद्रित सोच पर भी परिवीक्षा से संबंधित सहबद्ध न्यायशास्त्र उदाहरणार्थ, **दलवीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[27] वाले मामले में विचार किया जा सकता है :

> "सांसद् ने यह स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय यह राय गठित करते हैं कि मामले की परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना उसके अच्छे आचरण के लिए उसे परिवीक्षा पर छोड़ना समीचीन है तो उन परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जिसे उक्त राय गठित करने में दरकिनार नहीं किया जा सकता वह "अपराध की प्रकृत्ति" है ।
>
> .....
>
> **गुजरात राज्य** बनाम **जमनादास जी पवरी और अन्य** (1975) 2 एस. सी. आर. 330 वाले मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने "समीचीन" शब्द पर विचार किया । विद्वान् न्यायाधीशों ने पैरा 21 में इस प्रकार मत व्यक्त किया :
>
> > पुनः, इस उपबंध में प्रयुक्त "समीचीन" शब्द के कई अर्थ छाया है । एक शब्दकोश में 'समीचीन' (विशे.) का अर्थ 'लक्ष्य की दृष्टि' से उपयुक्त और संगत ; 'व्यावहारिक और दक्षपूर्ण' ; 'नीतिसंगत' ; 'लाभयोग्य' ; सलाहयोग्य ; मामले की परिस्थितियों में ठीक, उचित और युक्तिसंगत बताया गया है । दूसरी अर्थछाया के अनुसार, इसका अर्थ ऐसी युक्ति है जो सार्वभौमिकतः ठीक होने के बजाए विशेष लाभ के अनुकूल सिद्धांत के बजाए मात्र उपयोगिता द्वारा लाक्ष्यित है । (वेस्टर की नई इंटरनेशनल डिक्शनरी) ।

---

[27] ए.आई.आर. 2000 एस. सी. 1677

10. तब यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को इसके व्यापक महत्व के संदर्भ में उपबंध के प्रसंग और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उक्त शब्द का अर्थ निकालना चाहिए । यहां 'समीचीन' शब्द का प्रयोग "..... अपराध की प्रकृति सहित मामले की परिस्थितियों" को ध्यान में रखते हुए न्यायालय पर कर्तव्य अधिरोपित करने के संदर्भ में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 में किया गया है । इसका यह अर्थ है कि धारा 4 का अवलंब तभी लिया जा सकता है जब न्यायालय मामले की परिस्थितियों विशेषकर अपराध की प्रकृति पर विचार करता है और न्यायालय यह राय गठित करता है कि इस विनिर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त और समुचित है कि अपराधी को अपराधी के अच्छे आचरण पर परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है ।"

5.12 **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **संजय कुमार**[28] वाला मामला उच्चतम न्यायालय का एक अन्य मामला है जो दंडात्मक नीतियों की भूमिका का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है:

"आनुपातिकता का सिद्धांत ..... विहित करता है कि दंड अपराध की गंभीरता और दोषसिद्ध की आपराधिक पृष्ठभूमि भी प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए । इस प्रकार, अपराध की गंभीरता और काफी लंबे आपराधिक अभिलेख के आधार पर और कठोर दंड दिया जाना चाहिए । व्यष्टिक न्याय पर बल देते हुए, अपराधी की परिस्थिति पर अपराध का परिणाम निर्धारित करने तथा पीड़ित और समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर पुनरुद्धार न्याय दंड देने की एकरूपता से परहेज करता है । अपर्याप्त दंडादेश अधिरोपित करने के प्रति असम्यक सहानुभूति विधि की प्रभाविकता में लोक आस्था कम करते हुए सार्वजनिक प्रणाली को अधिक अपहानि पहुंचाएगी और समाज गंभीर खतरों को बहुत समय तक सहन नहीं कर सकता ।

अंततः, अपराध की प्रकृति और ऐसी रीति जिसमें यह निष्पादित किया गया या किया गया आदि को ध्यान में रखते हुए उचित दंडादेश अधिनिर्णीत करना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है । न्यायालयों को अपराध के अनुरुप दंड अधिरोपित करना चाहिए जिससे कि न्यायालय अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को ठीक से प्रतिबिंबित करने में समर्थ हो । यह अपराध की प्रकृति और गंभीरता

---

[28] ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1677.

है, न कि अपराधी की, जो आपराधिक विचारण में समुचित दंड के विचार के लिए युक्तिसंगत हैं । कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना दंड का अधिरोपण वस्तुतः निरर्थक प्रयोग हो सकता है ।"

5.13 मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दंड की परिवर्ती नीति को जोड़ने पर, मामला दंड देने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के उद्देश्य को स्पष्ट करता है । ऐसा करते हुए, यह आपराधिक न्याय के उस पहलू को भी स्पष्ट करता है जो इसे आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामों की लोक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने की अनुज्ञा देता है । समग्रतः, अपराध द्वारा समाज को कारित नुकसान के विस्तार को मापना कठिन है, फिर भी दंड अवधारित करते समय इस लोक प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए । जहां अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा काफी अधिक हो वहां दंडात्मक नीति को घृणा के स्रोत को प्रतिबिंबित करने के लिए परिवर्तित करना चाहिए । खाद्य अपमिश्रण के दृष्टांत में, यह जोखिम है कि ऐसा अपराध सभी व्यक्तियों के लिए सृजित होता है । वे लोग जो खाद्य को अपमिश्रित करते हैं प्रायः ऐसा अज्ञानता के विप्रतीय आवरण के पीछे करते हैं जिसके पीड़ित उनसे अपरिचित हैं और उन्हें ला का अनदेखा स्रोत प्राप्त होता है । अपमिश्रण के परिणामस्वरूप क्षति की गंभीरता से दंड को जोड़कर प्रस्तावित उपबंध अपराधी को अपराध के परिणामों की वास्तविकता के आधार पर दोषसिद्ध करता है ।

5.14 इन सभी प्रयासों का उद्देश्य दंड के निवारणात्मक प्रभाव को दृढ़ करना है । अपराध के किसी विशिष्ट रूप के प्रति न्यायिक जवाबदेही की अपर्याप्तता को मापना कठिन है जब उदारता के प्रभावों को प्रत्येक मामले की कार्य प्रणाली के आधार पर अंततः देखा जाता है जब समग्रतः अपराध के स्तरों को अपराधियों के प्रोत्साहन या हतोत्साहन के कारण परिवर्तित किया जाता है । **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **बाबूलाल और अन्य**[29] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आनुपातिकता के प्रयोग के माध्यम से उदारतापूर्ण न्यायिक बर्ताव के ऐसे पुरोबंध को इंगित किया गया और बाद में **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेनद्र सिंह**[30] वाले मामले में दोहराया गया :

"आपराधिक विधि का एक सर्वप्रमुख उद्देश्य पर्याप्त, उचित आनुपातिक दंड का अधिरोपण है जो अपराध की गंभीरता और प्रकृति तथा ऐसी रीति जिसमें

---

[29] (2013) 12 एस. सी. सी. 308.

[30] (2015) 1 एस. सी. सी. 222.

अपराध किया गया है, के अनुरुप हो । दंडादेश देने का सर्वाधिक सुसंगत अवधारक कारक सामाजिक हित और समाज की चेतना को ध्यान में रखते हुए अपराध और दंड के बीच आनुपातिकता है । आपराधिक कार्यवाहियों के समापन में विलंब सहित किसी भी प्रकार के किसी आधार पर अभियुक्त के प्रति भ्रामक सहानुभूति दर्शाकर उदारतापूर्ण मत व्यक्त करना आपराधिक न्याय प्रणाली का उपहास है । दंड इतना मृदुल नहीं होना चाहिए कि यह दंड देने के आधारभूत सिद्धांतों के प्रति घृणात्मक होकर समाज की अंतःचेतना को चकित कर दे ।

इस प्रकार, दंडादेश अधिनिर्णीत करते समय उचित संतुलन बनाए रखना न्यायालय का पवित्रतम कर्तव्य है क्योंकि कम दंड अधिनिर्णीत करने से अपराधी प्रोत्साहित होता है और इसके परिणामस्वरूप समाज भुगतता है ।"

5.15 इस विषय पर मार्गदर्शक मामला **सेवका पेरुमल आदि** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[31] वाला मामला है जिसमें दंड के सामाजिक प्रभाव पर प्रबुद्ध चर्चा की गई है । मामला विशिष्ट अपराध की बाबत समाज की विद्यमान और महसूस की गई आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है :

"विधि सामाजिक हितों को विनियमित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों का विवेचन करता है । व्यक्तियों और व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा राज्य का आवश्यक कार्य है । इसे अपराध विधि के परिकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । निस्संदेह, ऐसी पारस्परिक सांस्कृतिक प्रतिकूलता है जहां विद्यमान विधि को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना है और चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायालयों से दंडात्मक प्रणाली को परिवर्तित करने की अपेक्षा है । विधि विहीनता का संक्रामक रोग सामाजिक व्यवस्था को क्षीण करता है और इसे बरबाद कर देता है । समाज का संरक्षण और आपराधिक प्रवृत्ति का उन्मूलन ऐसी विधि का उद्देश्य होना चाहिए जो समुचित दंड अधिरोपित कर प्रापत किया जाए । अतः, 'व्यवस्था' की इमारत की आधारशिला के रूप में विधि को समाज की चुनौतियों का सामना करने वाली होनी चाहिए । **फ्रीडमैन** ने अपनी "ला इन चेंजिंग सोसाइटी" पुस्तक में यह कहा कि " आपराधिक विधि की सिति समाज की सामाजिक अंतःचेतना का निर्णायक प्रतिबिम्बन होती है -जैसाकि इसे होना चाहिए ।" अतः, दंडात्मक प्रणाली

---

[31] (1991) 3 एस. सी. सी. 471.

को लागू करते समय, विधि को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर सुधारात्मक तंत्र या निवारणात्मक तंत्र अपनना चाहिए । दक्ष नियमन द्वारा दंडात्मक प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए जहां ऐसी आवश्यकता हो और वहां दया दिखाई जाए जहां उसकी अपेक्षा हो । प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, ऐसी रीति जिसमें यह योजित किया गया और किया गया, अपराध करने का हेतु, अभियुक्त का आचरण, प्रयुक्त हथियार की प्रकृति और अन्य सभी परिवर्ती परिस्थितियां, सुसंगत तथ्य है जो विचार के क्षेत्र में आएंगे ।

.....

अतः, अपर्याप्त दंडादेश अधिरोपित करने की असम्यक सहानुभूति वि की प्रभाविकता में सार्वजनिक आस्था को कम करने हेतु न्याय प्रणाली को अधिक अपहानि पहुंचाएगी और समाज ऐसे गंभीर खतरों को काफी समय तक सहन नहीं कर सकता । अतः, अपराध की प्रकृति और रीति जिसमें यह निष्पादित या किया गया, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित दंडादेश अधिनिर्णीयत करना प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है ।"

5.16 उपरोक्त प्रतिपादना को **शैलेश जसवंत भाई और एक अन्य** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[32] वाले मामले में दोरहराया गया जो आगे आनुपातिकता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है और ऐसे न्यायिक स्वविवेक की तीक्ष्ण और वास्तविक परीक्षा भी प्रस्तुत करता है जो साधारणतः एक आवश्यक बुराई है :

"प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् किसी अपराध के लिए अधिनिर्णीत किए जाने हेतु उचित और समुचित दंडादेश विनिश्चित करने के लिए उग्रकारी और शमनकारी कारक और परिस्थितियां जिसमें अपराध किया गया है । न्यालय द्वारा निष्पक्ष रीति से वास्तविक सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए । संतुलन बनाए रखने का ऐसा कार्य वस्तुतः कठिन कार्य है । **डेनिस काउंसिल एम.सी.जी. दौथा** बनाम **कैलीफोर्निया राज्य** (402 यू.एस. 183 : 28 एल.डी.2डी. 771) वाले मामले में बहुत दक्षता से यह उपदर्शित किया गया है कि सुस्पष्ट प्रकृति का कोई फार्मूला संभव नहीं है जो असंख्य तरह की परिस्थितियों में जो अपराध की गंभीरता

[32] (2006) 2 एस. सी. सी. 359.

को प्रभावित करता हो, उचित और समुचित दंड अवधारित करने में युक्तियुक्त मानदंड उपलब करता हो । ऐसे सुस्पष्ट किसी फार्मूला के अभाव मे जो अपराध की गंभीरता के विचार से संगत विभिन्न परिस्थितियों के सही निर्धारण के युक्तियुक्त मानदंड के लिए कोई आधार उपलब्ध करा सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर स्ववैवेकिक निर्णय ही केवल ऐसा तरीका है जिसमें एसे निर्णय को समानतः विभेदित किया जा सकता है ।"

5.17 **बंतू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[33] वाले मामले में इसी प्रकार का मत दोहराया गया है । **पंजाब राज्य** बनाम **बाबा सिंह**[34] वाले मामले में दंडादेश देने में न्यायिक विवेकाधिकार के भार के महत्व को उजागर किया है और **हजारा सिंह** बनाम **राज कुमार**[35] वाले मामले के निर्णय का अवलंब लेते हुए, उस भर को उपशमित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत के महत्व का भी वर्णन किया गया है ।

5.18. इसी प्रकार, **जमील** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[36] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय आनुपातिक दंडादेश की प्रक्रिया का भी वर्णन करता है जब यह स्पष्ट करता है कि "दक्षपूर्ण अनुकूलन द्वारा, दंडादेश प्रक्रिया जहां यह आवश्यक हो कठोर होना चाहिए और वहां दयालुता दर्शाना चाहिए जहां ऐसी अपेक्षा हो ।" आगे यह सुसंगत मानदंड और ऐसे तथ्यों को उजागर करता है जो इस अनुकूलन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है ।

5.19. ये सभी मामले आपराधिक न्याय के निवारक सिद्धांत की मांग और आनुपातिकता के सिद्धांत के बीच संबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करते हैं । **पंजाब राज्य** बनाम **प्रेम सागर और अन्य**[37] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मामले पर विचार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 47 के अधिनियमन के उद्देश्य को विनिर्दिष्ट किया और अभिनिर्धारित किया :

"कुछ ऐसे अपराध है जो हमारे सामाजिक ढांचे को स्पर्श करते हैं । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता अभिवाक सौदेबाजी के सिद्धांत को

---

[33] (2008) 10 स्केल 336.
[34] (2015) 3 एस. सी. सी. 441.
[35] (2013) 9 एस. सी. सी. 516.
[36] (2010) 12 एस. सी. सी. 532.
[37] (2008) 7 एस. सी. सी. 550.

लागू करते समय, कतिपय तरह के अपराधों को इसकी परिधि से दूर रखा गया था। जबकि दंडादेश अधिरोपित करते समय, उक्त सिद्धांत मस्तिष्क में उभरते हैं ।"

5.20 तर्कता, दोनों सिद्धांत एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं है और वस्तुतः एक साथ लागू किया जाना चाहिए । कुल मिलाकर, अपराध के प्रति आनुपातिक प्रभाव को केवल मामले की विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को टिमटिमाती आंख से नहीं परखा जा सकता बल्कि अपराध का समाज पर प्रभाव विशेषकर निवारक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए । आनुपातिकता का यह प्ररुप यह सुनिश्चित करता है कि दंड प्रगतिशील ढंग से प्रदान किया जाए । फिर भी, यह सच है कि आनुपातिकता विशुद्धतः निवारक लक्ष्यित समरुप कठोर नीति का विकल्प गठित करती है । तथापि, यह अधिक विचारित प्रभाव से परहेज करती है क्योंकि जैसाकि शैलेश जसवंतभाई में उल्लिखित है । "समरूप अननुपातिक दंड का कुछ बहुत अवांछित व्यावहारिक परिणाम होता है ।" यह सोच ऐसी रीति को उजागर करती है जिसमें कठोर दंड की एकरुपता कम कठोर अपराध करने वालों पर निवारक का असमान भार प्रस्तुत करता है और छोटे अपराधियों को उनके बढ़ते दंड प्रभावों को भी उत्प्रेरित करता है क्योंकि किसी भी दशा में दंड एक जैसा बना रहता है।

5.21 **धनंजय चटर्जी** उर्फ **धाना** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[38] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा :

"हमारी राय में, वर्तमान मामले में दंड का माप अपराध के अत्याचार ; अपराधी के आचरण और पीड़ित की प्रतिरक्षाहीन और असंरक्षित दशा पर निर्भर होना चाहिए । समुचित दंड का अधिरोपण ऐसी रीति से होना चाहिए जिसमें न्यायालय अपराधियों के विरुद्ध समाज की न्याय की गुहार का प्रतिबिंबन करें । न्याय की यह मांग है न्यायालय अपराध से संगत दंड अधिरोपित करे जिससे कि न्यायालय अपराध की सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित करे । न्यायालयों को समुचित दंड के अधिरोपण पर विचार करते समय न केवल अपराधियों के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि अपराध के पीड़ित के अधिकारों और समग्र समाज का भी ध्यान रखना चाहिए ।"

5.22 **अहमद हुसैन वाली मोहम्मद सैयद और एक अन्य** बनाम **गुजरात राज्य**[39]

---

[38] (1994) 2 एस. सी. सी. 220.

[39] (2009) 7 एस. सी. सी. 254.

वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यष्टिक अपराधी और पीड़ित के विपरीत उदारता के दीर्घकालीन प्रभाव और समाज पर उसके समग्र प्रभाव के अंतवर्लित निबंधनों की व्याप्ति को स्पष्ट किया :

> "..... ऐसे अपराधों की बाबत मात्र समय के व्यपगत हो जाने के कारण थोड़ा दंडादेश अधिरोपित करने या सहानुभूतिपूर्ण मत अपनाने का कोई उदारतापूर्ण बर्ताव का परिणामदीर्घ अवधि में प्रतिउत्पादक होगा और ऐसे समाज के हित के विपरीत होगा जिसे दंडात्मक प्रणाली में अंतर्विहित निवारक गुणसूत्र द्वारा देखभाल किए जाने और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है । न्याय की यह मांग है कि न्यायालयों को अपराध से संगत दंड अधिरोपित करना चाहिए जिससे कि न्यायालय अपराध के प्रति आम जनता की घृणा को प्रतिबिंबित करे । न्यायालय को समुचित दंड के अधिरोपण पर विचार करते समय न केवल अपराधियों के अधिकारों पर बल्कि अपराध के पीड़ित और आम समाज के अधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए । न्यायालय अपने कर्तव्य के पालन में असफल हो जाएंगे यदि ऐसे अपराध के लिए समुचित दंड अधिनिर्णीत नहीं किया जाता है जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के विरुद्ध किया गया है बल्कि उस समाज के भी विरुद्ध किया गया है जिसके अपराधी और पीड़ित दोनों सदस्य हैं ।"

5.23 **गुरु बासवराज** उर्फ **बेन्ने संत्ताप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[40] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके समक्ष रखे गए उस प्रश्न के बारे में न्यायालयों से मांग को स्पष्ट किया जिसकी उनसे उन विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में समाज की आवश्यकताओं पर विचार करने की अपेक्षा होती है :

> "न्याय की सामूहिक गुहार, जिसमें पर्याप्त दंड सम्मिलित है, की हल्के में उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।"

5.24 ऐसी ही अपील **गोपाल सिंह** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[41] वाले मामले में की गई किंतु आनुपातिकता की आवश्यकता पर समुचित ही साथ-साथ सुरसंगति को रखा गया:

> "उचित दंड का सिद्धांत दांडिक अपराध की बाबत दंडात्मक सुदृढ़ आधार है । दंड अननुपातिकतः अत्यधिक नहीं होना चाहिए । आनुपातिकता की अवधारणा

---

[40] (2012) 8 एस. सी. सी. 734.

[41] जे.टी. 2013(3) एस. सी. 444.

न्यायाधीश को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार अनुज्ञात करती है किंतु इसे कतिपय सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए ।"

5.25 निष्कर्षतः, यह स्पष्ट है कि दंड स्कीम और दंडात्मक प्रणाली को आनुपातिकता के सामान्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इस प्रकार उदारता के मनमाने चूक के बिना अपेक्षित निवारण प्राप्त किया जाए ; और वही समरुप उच्च दंड द्वारा अनावश्यक विक्षोभ सृजित न किया जाए ।

5.26 निर्णयज विधि समुचित दंड अवधारित करते समय विचार किए जाने वाले सुसंगत मानदंडों की सूची प्रस्तुत करते हैं । तथापि, सुस्पष्टतः प्रस्तावित संशोधन इन सुसंगत मानदंडों को सीमित करता है और अंतर के सर्वप्रथम मानक के रूप में अपराध के परिणामस्वरूप अपहानि के महत्व को बढ़ावा देता है । इसके कारणों को ऊपर स्पष्ट किया गया है ; निवारण के समुचित स्तर को न्यायिक विवेकाधिकार को अनुज्ञात कर और सभी सुसंगत मानदंड के विचार द्वारा प्राप्त नहीं किया है । दंड की कम मात्रा और दंड की परिवर्ती अनिश्चितता स्वयं के अनुकूल होती है और खाद्य सुरक्षा अपराधों के होने को प्रोत्साहित करता है । तथापि, दंड की कुल सीमा को बढ़ाना पर्याप्त नहीं हो सकता है और इस प्रकार श्रेणीबद्ध अवसंरचना प्रस्तावित है । वहीं दंड की मात्रा के लिए सुसंगत मानदंड को सीमित किया गया है जिससे कि अपेक्षित निश्चितता प्राप्त की जा सके जो यह सुनिश्चित करेगा कि दंड की वर्धित मात्रा अपवाद के बिना प्रदान की जाए।

अध्याय 6

विधियों में असंगतता

6.1 विधि आयोग ने खाद्य अपमिश्रण से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय की चिंता को दूर करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 का पुनर्विलोकन किया । उसने खाद्य अपमिश्रण के लिए अनुबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के प्रतिनिर्देश से दंड पर भी पूनर्विचार किया जो न केवल अपर्याप्त है बल्कि वर्तमान परिदृश्य में बेमेल भी है और इस प्रकार अधिक कठोर बनाए जाने की अपेक्षा है । विधि आयोग का यह विचार है कि अपमिश्रण खाद्य के उत्पादन और विक्रय से संबंधित उपबंध जो मानव प्राणियों के लिए नुकसानदेह है, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और कठोर बनाया जाए क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अधीन ऐसे अपराधों के लिए छह माह का विद्यमान अधिकतम दंड काफी अपर्याप्त है ।

6.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग की यह राय है कि अपमिश्रित खाद्य और पेय के उपभोग के कारण उपभोक्ता को कारित अपहानि के प्रतिनिर्देश से दंड का निश्चय रूप से श्रेणीबद्ध किया जाए । अतः, यह सिफारिश योग्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के उपबंधों को उपरोक्त विमर्शित कारणों से खाद्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त रूप से उपांतरित किया जाए ।

6.3 भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के संशोधनों पर विचार करते हुए विधि आयोग ऐसे विभिन्न तथ्यों को हिसाब में लेने वाले उपबंधों के प्रतिकर पहलू को सम्मिलित करने पर विचार किया जो अपराध की गंभीरता विहित करते हैं और अपमिश्रित खाद्य के उपभोग पर व्यक्तियों को अपहानि कारित करते हैं । इस बाबत आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 352, 357क और 357ख की उपबंधों पर विचार किया जो साधारण और विशिष्ट मामलों में प्रतिकर के बारे में है । धारा 357, धारा 357क और 357ख में उन उपबंधों से भिन्न सभी मामलों को लागू प्रतिकर के लिए समान्य उपबंध बनाती है । धारा 357 इस प्रकार है :-

357. प्रतिकर देने का आदेश

(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दंडादेश भी है) देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब

निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन –

.....

(ख) किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है ;

.....

(3) जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है ।

6.4 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क और 357ख के प्रतिकर के उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 326क (एसीड) आदि के उपयोग द्वारा स्वैच्छिकतः गंभीर क्षति कारित करना और भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग (सामूहिक बलात्संग) के अधीन आने वाले मामलों को लागू होते हैं । उन उपबंधों में अपराध की जधन्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस आशय से दो परंतुक का उपबंध किया गया है कि न्यायालय द्वारा आरोपित किए जाने वाले जुर्माने की रकम पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्यय को पूरा करने के लिए उचित और युक्तिसंगत होगा तथा बाद वाले मामले में पीड़ित के पुनर्वास के लिए ; और ऐसा कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा । प्रतिकर की मात्रा का अवधारण हमेशा अपराध की प्रकृति, ऐसी रीति जिसमें यह किया गया है, पीड़ित द्वारा दावा की औचित्य और अभियुक्त की संदाय करने की योग्यता पर ध्यान देते हुए किया जाता है ।

6.5 जैसाकि हमें ज्ञात है कि खाद्य के अपमिश्रण से मानव में कई श्वास संबंधी समस्याएं कारित होती हैं । अधिकांश खाद्य अपदूषक बहुत नुकसानदेह और विषाक्त हैं ; फिर भी लालच और लाभ हेतु समाज विरोधी व्यक्तियों को अपमिश्रण के लिए प्रोत्साहित करता है । इसलिए खाद्य अपमिश्रण से निपटने के लिए आम जनता के

स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव के लिए सम्यक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है । उपरोक्त से यह देखने में आता है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क और 357ख के अधीन आने वाले अपराध खाद्य अपमिश्रण से भिन्न पटल पर स्थित होते हैं फिर भी यदि जहां खाद्य अपमिश्रण गंभी क्षति कारित करता है या जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है ऐसे मामले प्रतीत होते हैं जो खाद्य अपमिश्रण के कारण स्वास्थ्य प्रतिसंकटमय को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः धारा 357ख के अधीन आ सकती है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न रोग और अपरिपक्व मृत्यु होती है । इस प्रकार अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त दो मामले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख के अधीन आते हैं ।

6.6 विशुद्ध विधिक अर्थ में अपराध साधारणतः अपनी परिधि के भीतर व्यक्तिगत अधिकारों के साशय आक्रमण को समेटता है न कि उनको जो आकस्मिक, भूलवश या अतार्किकतः या उकसाने पर होते हैं । भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है । धारा 272 और 273 विक्रय के लिए आशयित अपमिश्रित या अपायकर (मानव उपभोग के लिए अनुचित) खाद्य या पेयों के बारे में है । अध्याय 4 में यथाविमर्शित खाद्य अधिनियम इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र का अभिग्रहण नहीं कर सकता और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के उपबंधों को निरर्थक नहीं ठहरा सकता । उच्चतम न्यायालय ने **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य** बनाम **मेसर्स पेपसिको इंडिया होल्डिंग प्रा. लिमिटेड और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में ध्यान दिया और आगे यह ध्यान दिया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध 2012 की दांडिक अपील सं. 472, 476, 478, 479 आदि विचारार्थ लंबित है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को **स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले की रिट याचिका से अलग कर दिया गया है ।

6.7 ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में जैसाकि यह मुद्दा कि क्या आपराधिक कार्यवाहियां प्रवृत्त पी.एफ.ए. अधिनियम या खाद्य अधिनियम के आरंभ के पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 के अधीन आरंभ की जा सकती है । न्यायाधीन है अतः आयोग के लिए उक्त निर्णय के गुणागुण पर टिप्पणी करना समुचित नहीं है । यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रारुप संशोधन विधेयक

सरकार के विचारार्थ सिफारिश करते हुए विचार किया गया है । तदनुसार भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित परिवर्तनों को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक विवरण तथा विधि आयोग द्वारा तैचार किया गया प्रारुप संशोधन विधेयक क्रमशः उपबंध 'क' और 'ख' के रूप में संलग्न है ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार)
सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(सुरेश चंद्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. जी. नारायण राजू)
पदेन सदस्य

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित परिवर्तनों को दर्शाती तुलनात्मक विवरण

(भाग - 1 भारतीय दंड संहिता में सुझाए गए संशोधन)

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रावधान	भारतीय विधि आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन
272. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण -- विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तुत को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा । **उड़ीसा राज्य** - भारतीय दंड संहिता की धारा 272 में "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे ढ़ाकर एक हजार रूपए तक किया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर	**धारा 272 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन** - भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 272 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी : 272. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण - जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, निम्नलिखित से दंडित किया जाएगा -- (i) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणाम से क्षति

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय निर्णय के वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो । [27 फरवरी, 1999 से 1999 का उड़ीसा अधिनियम 3 धारा 2 लागू]

उत्तर प्रदेश राज्य - भारतीय दंड संहिता की धारा 272 में "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे ढ़ाकर एक हजार रूपए तक किया जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

" परंतु न्यायालय निर्णय के वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो" । [1957 का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 47]

नहीं होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा

(ii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गैर-गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(iii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा ;

(iv) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा ;

पश्चिमी बंगाल राज्य - भारतीय दंड संहिता की धारा 272 में पश्चिमी बंगाल राज्य को लागू हाने के लिए "कारावास की ऐसी अवधि जिसे बढ़ाकर छह मास किया जा सकेगा या जुर्माना जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपए तक किया जा सकेगा या दोनों से", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् - "जुर्माना सहित या रहित आजीवचन कारावास" ; परंतु न्यायालय, निर्णय में वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो । [29 अप्रैल, 1973 से 1973 का पंश्चिमी बंगाल अधिनियम सं. 42]	परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त कारण के आधार पर ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम है ; परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय व्यय और पुनर्वास व्यय के पूरा करने के लिए उचित और युक्तिसंगत होगा ; परंतु यह भी कि धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा ।"
273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय -- आपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से,	**धारा 273 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन** - दंड संहिता में, धारा 273 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् -- **"273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय** - जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए

जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा । धारा 273 में, राज्य संशोधन खंड 272 के समान है ।	कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, निम्नलिखित से दंडित किया जाएगा, -- (i) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्थापना या विक्रय के लिए अभिदर्शन के परिणामस्वयप क्षति नहीं होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ; (ii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप गैर-गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा ; (iii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से

	कम का नहीं होगा ; (iv) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा ; परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश दे सकता है जो आजीवन कारावास से कम है ; परंतु यह और कि ऐसे जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय व्यय और पुनवास व्यय को पूरा करने के लिए उचित और युक्तिसंगत होगा ; परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा ।

भाग - 2 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधित सुझाव

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या गैर-संज्ञेय	जमानती या गैर-जमानती	किसी न्यायालय द्वारा जांच योग्य	धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या गैर-संज्ञेय	जमानती या गैर-जमानती	किसी न्यायालय द्वारा जांच योग्य
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय को अपमिश्रित करना जो इसे अपायकर बनाता है ।	छह मास का कारावास या 1000/- रु. का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट	272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय को अपमिश्रित करना जिससे कि यह इसे अपायकर बनाता हो, (i) जहां ऐसे अपमिश्रण से कोई क्षति न हो ।	कारावास जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
							(ii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गैर गंभीर क्षति हो ।	कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
							(iii) जहां ऐसे खाद्य और विक्रय से गंभीर क्षति हो	कारावास जो छह वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
							(iv) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप	कारावास जो सात वर्ष से कम न हो किंतु आजीवन	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

							मृत्यु हुई	कारावास तक हो सकता है और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।			
273	किसी खाद्य या पेय को अपायकर जानते हुए बेचता है ।	छह मास का कारावास या 1000/- रु. का जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट	273	किसी खाद्य या पेय को यह जानते हुए कि यह अपायकर है खाद्य या पेय के रूप में बेचता है (i) जहां ऐसे खाद्य या पेय को बचेता है, या बेचने की प्रस्थापना करता है या विक्रय का अभिदर्शन करता है जिसके परिणामस्वरूप कोई क्षति नहीं होती ।	कारावास जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
							(ii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है ।	कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
							(iii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय से गंभीर क्षति हो	कारावास जो छह वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

								जो पीड़ित को दिया जाए ।			
							(iv) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई	कारावास जो सात वर्ष से कम न हो किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	राज्य संशोधन										
	उड़ीसा										
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय को अपमिश्रित करना जो इसे अपायकर बनाता हो ।	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय						
273	किसी खाद्य या पेय को इसे अपायकर जानते हुए खाद्य या पेय को बेचना ।	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय						
	उत्तर प्रदेश										
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय को अपमिश्रित करना जो इसे अपायकर बनाता	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय						

	हो ।										
273	किसी खाद्य या पेय को इसे अपायकर जानते हुए खाद्य या पेय को बेचना ।	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय						
	पश्चिमी बंगाल										
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय को अपमिश्रित करना जो इसे अपायकर बनाता हो ।	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय						
273	किसी खाद्य या पेय को इसे अपायकर जानते हुए खाद्य या पेय को बेचना ।	आजीवन कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय						

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
का और संशोधन
करने लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखि रूप में यह अधिनियमित हो --

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

अध्याय 2
भारतीय दंड संहिता का संशोधन

2. धारा 272 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन : भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 272 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् --

"272. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण - जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, निम्नलिखित से दंडित किया जाएगा --

(i) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणाम से क्षति नहीं होती है, ऐसी

अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा

(ii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गैर-गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(iii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा ;

(iv) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा ;

परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त कारण के आधार पर ऐसे कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम है ;

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय व्यय और पुनर्वास व्यय के पूरा करने के लिए उचित और युक्तिसंगत होगा ;

परंतु यह भी कि धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा ।"

3. धारा 273 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन - दंड संहिता में, धारा 273 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् --

"273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय - जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, निम्नलिखित से दंडित किया जाएगा, --

(i) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्थापना या विक्रय के लिए अभिदर्शन के परिणामस्वयप क्षति नहीं होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(ii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप गैर-गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा ;

(iii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा ;

(iv) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा ;

परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित किए गए पर्याप्त कारणों से ऐसे कारावास का दंडादेश दे सकता है जो आजीवन कारावास से कम है ;

परंतु यह और कि ऐसे जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय व्यय और पुनवास व्यय को पूरा करने के लिए उचित और युक्तिसंगत होगा ;

परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा ।

अध्याय 3

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

4. धारा 357ख के स्थान पर नई धारा काक प्रतिस्थापन -- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाएगा) की धारा 357ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् --

"357ख. भारतीय दंड संहिता की धारा 272, धारा 273, धारा 326 या धारा 376घा के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त प्रतिकर का होना -- धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 272, धारा 273, धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीड़ित को जुर्माने के संदाय के अतिरिक्त होगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पीड़ित" पद का अर्थ वही होगा जो धारा 2 के खंड (यक) में परिभाषित है ।'।

5. पहली अनुसूची का संशोधन - "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध "शीर्षक के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में, धारा 272 और 273 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्

1	2	3	4	6	6
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय को अपमिश्रित करना जिससे कि यह इसे अपायकर बनाता हो, (i) जहां ऐसे अपमिश्रण से कोई क्षति न हो ।	कारावास जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	(ii) जहां ऐसे अपमिश्रण के परिणामस्वरूप गैर गंभीर क्षति हो ।	कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	(iii) जहां ऐसे खाद्य और विक्रय से गंभीर क्षति हो	कारावास जो छह वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	(iv) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई	कारावास जो सात वर्ष से कम न हो किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
273	किसी खाद्य या पेय को यह जानते हुए कि यह अपायकर है खाद्य या पेय के रूप में बेचता है (i) जहां ऐसे खाद्य या पेय को बचेता है, या बेचने की प्रस्थापना करता है या विक्रय का अभिदर्शन करता है जिसके परिणामस्वरूप कोई क्षति नहीं होती ।	कारावास जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	(ii) जहां ऐसे खाद्य या पेय	कारावास जो एक वर्ष तक का हो	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

	के विक्रय के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है ।	सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।			
	(iii) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय से गंभीर क्षति हो	कारावास जो छह वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	(iv) जहां ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई	कारावास जो सात वर्ष से कम न हो किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना जो पीड़ित को दिया जाए ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय